झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची

आपराधिक विविध याचिका सं0 3269 वर्ष 2022

1. कालीचरण गोड़ उर्फ कालीचरण गन, उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र धीरेन्द्र गन ।
2. ज्योति गोड़ उर्फ ज्योति गन, उम्र लगभग 32 वर्ष पत्नी कालीचरण गन
दोनों रासिकपुर-निकट सिंह वाहिनी मंदिर डाकखाना तथा थाना- दुमका, जिला-दुमका, झारखण्ड

..... याचिकाकर्तागण

बनाम

1. झारखण्ड राज्य
2. डब्लू गन, पुत्र स्व0 धीरेन्द्र नाथगन, निवासी रासिकपुर डाकखाना तथा थाना दुमका, जिला दुमका, झारखण्ड

..... उत्तरदातागण

याचिकाकर्ता के लिए : श्री डी0सी0 मिश्रा, अधिवक्ता

राज्य के लिए : सुश्री प्रिया श्रेष्ठ, विशेष लोक अभियोजक

उत्तरदाता सं0 2 के लिए : सुश्री नेहला शर्मिन, अधिवक्ता
श्री फैजल आलम, अधिवक्ता

<u>निर्णय</u>

मा0 श्री न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा :- दोनों पक्षकारों को सुना।

2. इस आपराधिक विविध याचिका को विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका द्वारा पारित संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 25.07.2022, जिसके द्वारा तथा जिसके अन्तर्गत विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुमका के न्यायालय में लंबित भा0द0सं0 की धारा 420, 323, 504, 506 एवं 34 के अधीन दण्डनीय अपराध करने के लिए याचिकाकर्तागण के विरूद्ध प्रथम दृष्टया मामला पाया है सहित पी0सी0आर0 मामला सं0 170 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के अनुरोध के साथ धारा 482 आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता के अधीन इस न्यायालय के अधिकारिता का अवलंब लेते हुए दाखिल किया गया है।

3. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्तागण ने परिवादी के हस्ताक्षर को कूटरचित करते हुए कूटरचित विक्रय समझौता तैयार किया है तथा परिवादी के विरूद्ध मामला संस्थित भी किया है। 15.02.2022 को 11.00 बजे पूर्वाहन, याचिकाकर्तागण ने परिवादी के घर का अतिचार किया था तथा लात एवं मुक्का से इस पर प्रहार किया था एवं धमकी दिया था तथा इसे आपराधिक रूप से अभित्रस्त किया था तथा छल किया था। विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका ने परिवाद,

सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन एवं क्षति साक्षीगण के कथन के आधार पर भा0द0सं0 की धरा 420, 323, 504, 506 तथा 34 के अधीन दण्डनीय अपराधों के लिए संज्ञान लिया है।

4. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे निवेदन किया गया है कि याचिकाकर्तागण के विरूद्ध अभिकथन मिथ्या है। याचिकाकर्तागण ने श्रीमती मोना पाण्डेयके पक्ष में परिवादी द्वारा निष्पादित विक्रय विलेख सं0 226 दिनांक 14.07.2020 के रद्दकरण हेतु परिवादी (विक्रेता) तथा श्रीमती मोना पाण्डेय जो परिवादी से सम्पत्ति का क्रेता है के विरूद्ध मूल हक वाद सं0 25 वर्ष 2020 दाखिल किया है तथा याचिकाकर्तागण ने परिवादी के विरूद्ध पीसआर मामला सं0 345 वर्ष 2020 भी दाखिल किया है जिसमें परिवादी एबीए सं0 6692 वर्ष 2021 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार जमानत पर है। आगे यह निवेदन किया गया है कि पक्षकारों के बीच विवाद सिविल प्रकृति का है इसलिए, याचिकाकर्तागण पर आपराधिक दायित्व बांधा नहीं जा सकता है तथा याचिकाकर्ता सं0 2 पर कोई विर्निदिष्ट प्रकट कार्य आरोपित नहीं है अतः यह निवेदन किया गया है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका द्वारा पारित संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 25.07.2022 सहित पी0सी0आर0 मामला सं0 170 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही को अभिखंडित या अपास्त किया जाय।

5. विद्वान विशेष लोक अभियोजक तथा उत्तरदाता सं0 2 के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुमका द्वारा पारित संज्ञान लेने वाले आदेश दिनांक 25.07.2022 सहित पी0सी0आर0 मामला सं0 170 वर्ष 2022 के संबंध में सम्पूर्ण आपराधिक कार्यवाही का अभिखण्डन करने के अनुरोध का जोरदार तरीके से विरोध किया है तथा निवेदन किया है कि छल करने का याचिकाकर्ता सं0 1 का अभिकथन है तथा पीड़ित को आपराधिक रूप से अभित्रस्त करने का तथा हमला करने का याचिकाकर्तागण के विस्द्ध अभिकथन है अतः यह निवेदन किया गया है कि इस आपराधिक विविध याचिका को सभी गुणावगुण के बिना होने के नाते खारिज किया जाय।

6. न्यायालय में किये गये प्रतिद्वन्दी निवेदनों को सुनने के बाद तथा अभिलेख में उपलब्ध सामग्रियों का सावधानीपूर्वक परिशील करने के पश्चात यह न्यायालय पाता है कि छल करने का अभिकथन मात्र याचिकाकर्ता सं0 1 के विरूद्ध है तथा याचिकाकर्ता सं0 2 के विरूद्ध छल करने का पूर्णतया कोई अभिकथन नहीं है एवं याचिकाकर्ता सं0 2 के विरूद्ध स्वेच्छया उपहति कारित करने या आपराधिक रूप से अभित्रस्त करने का कोई

विनिर्दिष्ट अभिकथन नहीं है। याचिकाकर्ता सं0 2 महिला है अतः इस न्यायालय के सुविचारित राय में, भले ही परिवाद में किये गये अभिकथनों, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन तथा जांच साक्षीगण के शपथ पर कथन को इसके सम्पूर्णता में सत्य मान लिया जाय, फिर भी, याचिकाकर्ता सं0 2 पर कोई विनिर्दिष्ट प्रकट कार्य आरोपित नहीं है तथा याचिकाकर्ता सं0 2 के विरूद्ध अभिकथन शिव नारायण कुमार तथा अशोक कुमार मण्डल के विरूद्ध एक ही आधार को साझा करते हैं जिन्हें परिवाद में अभियुक्त व्यक्तियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया था लेकिन जिसके विरूद्ध विद्वान मजिस्ट्रेट ने कोई प्रथम दृष्टया मामला नही पाया है, अतः, इस न्यायालय को यह धारित करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता सं0 2 के विरूद्ध प्रथमदृष्टया मामला पाकर गंभीर त्रुटि किया था लेकिन यदि परिवाद में किये गये अभिकथनों, सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञान पर कथन एवं शपथ पर पूछतांछ साक्षीगण के कथन को इनके सम्पूर्णता में सत्य माना जाता है, मात्र याचिकाकर्ता सं0 1 के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 420, 323, 506 के अधीन दण्डनीय अपराध बनता है। अतः विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दुमका द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.07.2022 को आंशिक अभिखंडित किया जाता है, जहाँ तक इसका संबंध याचिकाकर्ता सं0 2 से है। यह स्पष्ट किया जाता है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.07.2022 मात्र भा0द0सं0 की धारा 420, 323, 506 के अधीन दण्डनीय अपराधों के संबंध में मात्र याचिकाकर्ता सं0 1 के विरूद्ध लागू होगा। परिवादी का साशय अपमान करने वाले याचिकाकर्ता सं0 1 के विरूद्ध किसी अभिकथन तथा इसके द्वारा सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए प्रकोपन दिया के अभाव में याचिकाकर्ता सं0 1 के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध नहीं बनता है। तद्नुसार, विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, दुमका द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 25.07.2022 को अभिखंडित तथा अपास्त किया जाता है, जहाँ तक याचिकाकर्ता सं0 1 का संबंध मात्र भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अधीन दण्डनीय अपराध से है।

7. इस आपराधिक विविध याचिका को पूर्वोक्त विस्तार तक अनुज्ञात किया जाता है।

(अनिल कुमार चौधरी, न्यायमूर्ति)

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
दिनांक 6 दिसम्बर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद (शिवाकान्त तिवारी) पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।